दिनांक – 25.09.18

पत्रावली आज पेश हुई। अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित। प्रत्यर्थी पक्ष 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल विश्नोई ने वकालतनामा पेश किया। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रार्थना–पत्र पेश करते हुए जाहिर किया कि पक्षकारों के मध्य लोक–अदालत की भावना एवं आपसी समझाइश से प्रस्तुत प्रकरण में राजीनामा हो चुका है तथा इस राजीनामा के तहत पक्षकारान् के मध्य यह सहमति बनी कि बंटवाड़ा आदेश दिनांक 15.01.2018 जो तहसीलदार, शेरगढ़ द्वारा पारित किया गया है, उसे निरस्त किया जावें। चूंकि पक्षकारान् द्वारा इस अपील में राजीनामा हो चुका है तथा प्रस्तुत राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया अतः राजीनामा अनुसार अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश 15.01.2018 को निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति मय मूल रिकॉर्ड तहसीलदार, शेरगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।